

आयालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)
दिनांक 24.8.2020

मि.न.11/2020

सरकार बनाम संती
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेड़ा निहालपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0101/0.12 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मेंसे 0.0010 है0पर संती पत्नि धोलाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर ने मेड़ लगा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । गैर सायलान उपस्थित नहीं आये अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के अनुसार गैर सायलान की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जांच करने पर पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट सही पाई गई। हमने पटवारी हल्का भू0अ0नि0 रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता है , अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल संती पत्नि धोलाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर को वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 101/0.12है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.0010है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात पर की गई मैड़ को मोक़े पर से हटाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.04रू. का पचास गुणा 2 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

अं 200.10.2020..... के रा० ले० 4
के पृष्ठ संख्या 35 पर 22/8/2020
वषये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली